

**FORM - III**  
**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

नाजम सिंह बनाम गुरुजीत सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 02 सन् 2023 **2023/319**

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व

तारीख अहकाम  
जो इस हुक्म  
की तामील में  
जारी हुए

तामिल  
हुकम

27.01.2023

प्रार्थी नाजम सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 एच तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 29 एच की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 22/21 के मुरब्बा नम्बर 38 की 0.060 हेक्टेयर नहरी भूमि के सम्बन्ध में यदि अप्रार्थीगण या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो। तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

अ.नं.  
26

आप यह पत्रावली चेकी में ली गयी प्रार्थी का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निष्पत्ति होकर नम्बर से काम होकर दायिल रफ्तार है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

